



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1195/2026/762/22-02-2026-17(309)/2026
लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रहलाद (बन्दी सं०-256/2022) पुत्र श्री भृगुन, ग्राम-मुडाडीह, थाना-कोतवाली देवरिया, जनपद-देवरिया का निवासी है, जिसे एस०टी०नं०-92/1982 में धारा-302/149, 324/149, 147 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06, देवरिया दण्डादेश दिनांक 14.09.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.04.2022 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 04, माह, 11 दिन तथा 03 वर्ष, 11 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1195/2026/762(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
- 3- पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
- 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।